



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2018/पौष 29, 1939

No. 34]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2018/PAUSHA 29, 1939

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 43(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 25 की उपधारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रेस परिषद् नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रेस परिषद् (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रेस परिषद् नियम, 1979 के नियम 4 के उपनियम (1) में, खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(iv) खंड (i), खंड (ii), और खंड (iii) में निर्दिष्ट किराए और दैनिक भत्तों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त, प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य 60,000 रु. प्रतिमास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए छह हजार रुपए प्रतिदिन की बैठक फीस के हकदार होंगे:

परंतु ऐसा कोई गैर सरकारी सदस्य, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी संस्था या संगठन में नियोजित है और ऐसी संस्था या संगठन से वेतन प्राप्त कर रहा है, ऐसी बैठक फीस के लिए हकदार नहीं होगा।”

[फा. सं. एम-22011/6/2017-प्रेस]

के. संजय मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 286, तारीख 8 फरवरी, 1979 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 940, तारीख 20 नवंबर, 1982, सा.का.नि. 622(अ), तारीख 16 मई, 1988 और सा.का.नि. 37(अ), तारीख 27 जनवरी, 1997 और सा.का.नि. 377(अ) तारीख 30 मार्च, 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2018

G.S.R. 43(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government after consulting the Press Council of India, hereby makes the following rules further to amend the Press Council Rules, 1979, namely:—

1. (1) These rules may be called the Press Council (Amendment) Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Press Council Rules, 1979, in rule 4, in sub-rule (1), for clause (iv), the following shall be substituted, namely:—
“(iv) In addition to the reimbursement of rent and daily allowances referred to in clauses (i), (ii) and (iii), every non-official member shall be entitled to a sitting fee of rupees six thousand per day, subject to a ceiling of rupees sixty thousand per month:
Provided that no such non-official member employed in any institution or organisation funded by the Government and drawing salary therefrom shall be entitled to sitting fee.”

[F. No. M-22011/6/2017-Press]

K. SANJAY MURTHY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 286, dated the 8th February, 1979 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 940, dated the 20th November, 1982, G.S.R. 622(E), dated the 16th May, 1988, G.S.R. 37(E), dated the 27th January, 1997 and G.S.R. 377(E), dated the 30th March, 2016.